P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

ग्रामीण समाज में अत्याचार से पीड़ित दलितों की स्थितिः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

जितेन्द्र कुमार चौधरी
शोध अध्येता,
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, रा.दु.वि.वि. जबलपुर (म.प्र.)

सारांश

भारतीय ग्रामीण समाज में आज भी जाति आधारित भेदभाव, शोषण एवं उत्पीड़न जारी है। जो दलित जाति के लोगों पर निरंतर किसी न किसी रूप से दिखाई देता है । शोषण और अत्याचार का यह रूप हिंसा में परिवर्तित हो जाता है । और दलितों पर विविध प्रकार के अत्याचारों के रूप में प्रकट होता है। अनुसूचित जातियों के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों की संख्या पंजीबद्ध मामलों से कहीं अधिक है। पुलिस प्रशासन द्वारा सही कार्यवाही न करना, न्यायालय द्वारा उचित न्याय प्राप्त न होना, गैर दलित जातियों के साधन एवं शक्ति सम्पन्न होने के कारण तथा निम्न स्थिति के दलितों की रिपोर्ट नगण्य मात्रा में दर्ज कराये जाना वर्तमान समय में दलितों की निम्न एवं दयनीय सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करता है।

प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि दलित जातियों पर होने वाला अत्याचार अभी समाप्त नहीं हुआ है। अपुति यह ग्रामीण समाज में में आज भी दिखाई देता है।

मुख्य शब्द : दलित, अत्याचार से आशय, उपेक्षा एवं पीड़ित दलितों की स्थिति

प्रस्तावना

''संसार में अनेक देशों में ऐसे वर्ग है, जो निम्न वर्ग कहे जाते है। ये रोम में स्लेव या दास कहलाते थे। स्पार्टन में इनका नाम हेलोटर या क्रीत था। ब्रिटेन में ये विलियन्स या क्षुद्र कहलाते थे, अमेरिका में नीग्रों और जर्मनी में यहूदी थे। हिन्दुओं में यही दशा दलितों की थी, परन्तु इनमें से कोई इतना बदनसीब नही था, जितना अभागा दलित है। दास, क्रीत, क्षुद्र सब लुप्त हो गये है, परन्तु अस्पृश्यता का भूत आज भी मौजूद है।''

आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक से युक्त इस विश्व का कोई कोना आज दुर्लध्य नही रहा, किन्तु दुर्भाग्य है कि मनुष्य अभी भी ऊँच–नीच की निहायत ही घटिया सोच का शिकार है। भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा लोकतांत्रिक नही है, यह जन्मांत असमानता पर आधारित अनेक जातियों, उपजातियों में बंटा हुआ है। इस विभाजन में दलित सबसे नीचे है। जिनका दुखद अतीत है कि जिनकी पहचान दुर्भाग्यपूर्ण है। जहॉ तक दलितों का प्रश्न है, टायलर की यह बात कि कुछ भी ऐसा नही है जो वर्तमान में न हो और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका मूल अतीत में न हो और कुछ भी ऐसा नही है, जो वर्तमान तक बना न रहा हो, काफी हद तक सही प्रतीत होती है हजारों वर्षों से दलित शोषण, वंचन और उत्पीड़न के शिकार रहे है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, ''हिन्दू सोसायटी उस बहुमंजिली मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है और न ही कोई दरवाजा, जो जिस मंजिल में पैदा होता है, उसे उसी मंजिल में मरना होता है।''[1]

दलित से यहाँ आशय उन लोगों से है जो संविधान की धारा –341 (1) तथा (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे गए हैं। देश में इनकी संख्या करीब चौदह (13.82) करोड़ है। जो देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का छठाई भाग (16.48%) है। संविधान में इनकी अलग पहचान, इनकी सामाजिक नियोग्यताओं एवं आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा इन्हें विशेष सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से निर्मित की गई है। गरीबी, गन्दगी, बीमारी और अशिक्षा की शिकार ये जातियाँ समाज से बहिष्कृत और नागरिक अधिकारों से वंचित रही हैं। आज भी दरिद्रता की रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों मे अनुसूचित जातियों का अनुपात देश की सम्पूर्ण जनसंख्या में इनके अनुपात से कहीं बहुत ज्यादा है। इनके पास भूमि व जीविका के अन्य संसाधनों का स्वामित्व नहीं के बराबर है। इनमें आधे से अधिक लोग भूमिहीन

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

अथवा छोटे व सीमांत कृषक हैं। जो आजीविका के लिए कृषि–मजदूरी पर निर्भर करते हैं। अभी हाल तक इनमें अधिकांशतः अपने भू–स्वामी के यहाँ पूर्णतः या अंशतः बंधुआ मजदूर थे। ये खाल निकालने और चमड़े का काम, नाली और गली की सफाई जैसे गन्दे और कम आमदनी वाले काम करते रहे हैं। आज भी दलित अधिकांशतः अभावग्रस्त और दरिद्र हैं।[2]

अत्याचार से आशय

मोटे तौर पर अत्याचार से यहाँ आशय सभी प्रकार के अन्याय शोषण, पीड़ा एवं त्रास और उत्पीड़न से है जो समाज के उच्च व शक्ति सम्पन्न वर्ग द्वारा (गैर दलितों) द्वारा गरीब, कमजोर और अपनी रक्षा करने में असमर्थ दलित जातियों के लोगों के उपर ढाए जाते हैं। समान्यतया अन्याचार की श्रेणी में हत्या, बलात्कार, शीलभंग, मारपीठ, चोट, आगजनी तथा हिंसा संबंधी अधिक गम्भीर किस्म के अपराध शामिल किया जाते हैं जिससे पीड़ित, व्यक्ति को गम्भीर किस्म की शारीरिक क्षति और अथवा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) के तहत अत्याचार के अन्तर्ग अनुसूचित जातियों के विरूद्ध गैर अनुसूचित जातियों द्वारा अस्पृश्यता व भेदभाव सहित किये गये सत्ताईस प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। मौटे तौर पर अनुसूचित जातियों के विरूद्ध गैर अनुसूचित जातियों द्वारा किये गये वे सभी अपराध जो जिला अनुसूचित आति कल्याण प्रकोष्ट में भारतीय दण्ड संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) तथा अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) के अर्न्तगत पंजीबद्ध किये गये हैं, अत्याचार की श्रेणी में आते हैं।[3]

पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अपराधों की संख्या में वृद्धि इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1955 में 180 मामले पंजीकृत किए गए थे, जबकि 1960 में इनकी संख्या 509, 1972 में 1515, 1979 में 13,884 और 1987 में 19,342 हो गई थी। 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिकनियम का पुनर्नामांकन 1976 में ''नागरिक आधिकार सुरक्ष अधिनियम'' कर दिया गया।

अनुसूचित जातियों के विरूद्ध दर्ज किए गए मामलों से सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में तत्पश्चात् मध्य प्रदेश बिहार, केरल राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में है। उदाहरणार्थ, ऐसे दर्ज किए गए कुल मामलों में से 1987 में 29.5% उत्तर प्रदेश में, 27.8% मध्य प्रदेश में, 15. 5% बिहार में, 6.4% केरल में, 5.5% राजस्थान में थे इनमें से भी 10.1%मामले हिंसा के , 7.3ः आगजनी के , 3.1% बलात्कार के, और 2.8%हत्या के थे।

जहाँ तक अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अत्याचारों और हत्याओं का सम्बन्ध हैं, मई 1977 की बिहार के एक गांव बेलछी की घटना अविस्मरणीय है। 1978 और 1992 के बीच इसी प्रकार के प्रकरण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश में दर्ज किए गए थे इसी प्रकार के अत्याचरों के कारण इन जातियों के इस्लाम व ईसाई धर्म में परिवर्तन के मामले भी समय समय पर प्रकाश में आए है। इस प्रकार के धर्म परिवर्तन का एक उदाहरण, फरवरी, 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम् में हुआ जिसमें लगभग 1000 हरिजनों को इस्लाम में परिवर्तन किया गया।[4]

पूर्व अध्ययन की समीक्षा

जैन सनत कुमार[5] ने बड़ा तहसील में 'हरिजनों पर अत्याचार' अपने लघुशोध के अध्ययन के दौरान पाया कि दलितों की स्थिति में उपयुक्त सुधार नही हो पाया है। सवैंधाानिक सुधारों के उपरांत और अधिक अत्याचारों में वृद्धि हुई है। जिसका कारण परम्परावादी विचाराधारायें प्रमुख है, तथा अत्याचार से हरिजनों की समाज में अत्यंत निम्न एवं दीनहीन स्थिति है।

सिंह बलवीर[6] ने हरिजनों का अपराधिक उत्पीड़न नामक अपने लघुशोध अध्ययन के दौरान पाया कि अपराधों से पीड़ित व्यक्ति प्रौढ़ वर्ग वाले रहे है। व्यस्क तथा प्रौढ़ जो कि परम्परागत व्यवस्था को नही मानना चाहते वही अधिकतर उत्पीड़न का शिकार होते है। इनके अध्ययन में सबसे अधिक पीड़ित व्यक्तियों में 'चमार' जाति के लोग थे।

अध्ययन के उद्देश्य

जबलपुर जिले के अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध रिपोर्ट के अनुसार अत्याचार से पीड़ित दलितों से संबंधित प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित रहे है –

1. ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने वाली दलित जातियों के पीड़ित व्यक्ति की स्थिति एवं प्राप्त न्याय की समीक्षा करना।
2. अत्याचार से पीड़ित दलित परिवार का जीवन स्तर ज्ञात करना।

अध्ययन विधि एवं अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध प्रपत्र जबलपुर जिला से संबंधित अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध (2000–2010) तक के ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याचार के पंजीबद्ध 320 में से 80 (25 प्रतिशत) सूचनादाताओं का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा किया गया है। अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन का प्रयोग किया गया।

सारणी क्र. 1
न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय[7]

न्यायालय द्वारा निर्णय	कुल	प्रतिशत
सजा	14	17.5
बरी	27	33.75
राजीनामा	4	5.0
विचारधीन	35	43.75
योग	80	100

स्त्रोतःजबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध रिपोर्ट के अनुसार।

सारणी क्र. 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अत्याचार से पीड़ित दलित व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा प्राप्त न्याय कुल पंजीबद्ध मामलों की तुलना में 17.5 प्रतिशत प्राप्त होना अत्यंत ही कम है। वही बरी तथा विचारधीन मामलों की संख्या और प्रतिशत अधिक दिखाई देता है पीड़ित व्यक्ति को अपनी निम्न आर्थिक स्थिति एवं पुनः अत्याचार सहने के भय के कारण कुछ मामलों में राजीनामा करना पड़ता है जिसकी संख्या 4–5 प्रतिशत है बरी मामलों की संख्या 27 जो 33.75 तथा विचारधीन मामलों की संया 35 जो 43.75 है पीड़ित दलित

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

में नीरसता एवं भय उत्पन्न करती है वही अपराधी को यह संरक्षण प्रदान करती है जिसमें प्रशासन एवं न्यायालय की शिथिलता स्पष्ट दिखाई देती है।

सारणी क्र. 2
उत्तरदाताओं की पारिवारिक स्थिति

पारिवारिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
सयुंक्त	57	71.25
एकाकी	23	28.75
योग	80	100

सारणी क्र. 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रो में दलित अधिकांशतः संयुक्त परिवार में निवास किया करते है जिसकी संख्या है जो 71.25 प्रतिशत है जिसका कारण आर्थिक कमी तथा बेरोजगारी है साथ ही साथ सुरक्षा एवं संरक्षण की दृष्टि से भी दलित अधिकांशतः सयुंक्त परिवार में ही रहते है एकांकी परिवारों की संख्या 23 जो 28.75 प्रतिशत है एकांकी परिवारों में रहने वाले दलित–संयुक्त परिवार से ही सम्बद्ध होते है केवल उनकी रसोईया, काम (व्यवसाय) तथा आर्थिक लेनदेन ही अलग होता है।

सारणी क्र. 3
उत्तरदाताओं की व्यवसायिक स्थिति

व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
मजदूरी	30	37.6
परम्परागत व्यवसाय	13	16.25
कृषि	7	8.75
गैर सरकारी नौकरी	21	26.25
सरकारी नौकरी	7	8.75
योग	80	100

सारणी क्र. 3 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पीड़ित दलित अधिकांशतः मजदूरी दूसरों के खेतों किया करते है जिनकी संख्या 30 है जो 37.6 प्रतिशत है। वही वे परम्परागत व्यवसाय में भी संलग्न है उनके पास भूमि न के बराबर है कृषि करने वालों की संख्या 7 है जो 8.75 है गैर–सरकारी व्यवसायो दुकानों आदि में अधिकांशतः काम किया करते है जिसकी संख्या 21 है 26.25 प्रतिशत है सरकारी सेवाओं में भी इनका प्रतिशत न्यून ही है।

सारणी क्र. 4
पीड़ित के परिवार की मासिक आय

मासिक आय	संख्या	प्रतिशत
1500–3000	43	53.36
3000–6000	24	30
6000–9000	7	8.75
9001 से अधिक	6	7.5
योग	80	100

सारणी क्र. 4 से स्पष्ट होता है कि अत्याचार से पीड़ित होने वाले दलितों की मासिक आय 1500–3000 के बीच अधिक दिखाई देती है जिसकी संख्या 43 है जो 53.36 प्रतिशत है वही 9000 से अधिक कमाने वाले पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 6 है जो 7.6 प्रतिशत है इस सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधिक आय कमाने वाले पीड़ित दलित को ही उचित न्याय प्राप्त हो पाता है निर्धन पीड़ित को न्याय बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। क्योंकि उसकी स्थिति अच्छी न होने के कारण, पुलिस, न्यायालय एवं अधिक समय तक केस लड़ने में उसकी हिम्मत टूट जाती है और फेसला उसके पक्ष में नही होता है।

सारणी क्र. 5
पीड़ित व्यक्ति की शैक्षणिक स्थिति

शैक्षणिक स्तर	**संख्या**	**प्रतिशत**
निरक्षर	18	22.5
साक्षर	4	5.0
प्राथमिक	14	17.5
माध्यमिक	29	36.25
हाईस्कूल	11	13.75
स्नातक	4	5
स्नातकोत्तर	–	–
योग	80	100

सारणी क्र. 5 से स्पष्ट होता है कि अत्याचार से पीड़ित ग्रामीण दलित माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त दलितों की संख्या 29 है जो 36.25 प्रतिशत है वही निरक्षर लोगों की संख्या 18 है जो 22.5 प्रतिशत है आर्थिक कारणों एवं सुविधाओं के अभाव में यह उच्च शिक्षा नही प्राप्त कर पाते।

सारणी क्र. 6
पीड़ित व्यक्ति के मकान का स्वरूप

मकान का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
कच्चा	58	72.5
मिश्रित	15	18.75
पक्का	7	8.75
योग	80	100

सारणी क्र. 6 से स्पष्ट होता है कि पीड़ित अधिकांशतः निम्न स्थिति के है जो कच्चे मकानों में निवास करते है जिनकी संख्या 58 है जो 72.5 प्रतिशत है वही पक्के मकानों में रहने वाले पीड़ित दलितों की संख्या 7 है जो 8.75 है।

तथ्यों का विश्लेषण

1. अत्याचार से पीड़ित दलितों को न्याय उचित अनुपात में प्राप्त नही होता जिसका कारण, पुलिस द्वारा प्रकरण को सही ढंग से प्रस्तुत न करना प्राप्त सरकारी वकील की व्यस्तता एवं नीरसता, उचित डॉक्टरी परीक्षणों का अभाव, दलितों का अधिकांशतः निर्धन होना जो आवश्यक साधनों को जुटा पाने में असमर्थ होते है।
2. पीड़ित संयुक्त परिवारों से संबंधित पाये गये, जिनकी मासिक आय 1500–3000 के बीच अधिक दिखाई दी वही वे मजदूरी जैसे कम आमदनी वाले, एवं दूसरों के यहॉ नौकर है।
3. इनमें शिक्षा का स्तर न्यून एवं माध्यमिक स्तर तक का अधिक दिखाई देता है तथा ये कच्चे मकानों में निवास करते है।

निष्कर्ष

अत्याचार से पीड़ित ग्रामीण जिन व्यक्तियों एवं उनके परिवारों की न्यून आर्थिक स्थिति है उन्हे उचित न्याय नही हो पाता अपेक्षा अधिक सम्पन्न पीड़ित दलित जो

न्यायालय में अपने विपक्षी के विरूद्ध केस लड़ने में सामर्थ्य होते है वे ही कुछ हद तक उचित न्याय प्राप्त कर पाते है।

वही पुलिस प्रशासन, न्यायालय एवं उचित डॉक्टरी परीक्षण का उचित न हो पाना, प्रकरण को कमजोर करके पेश करना झूठे गवाह प्रस्तुत करना, पीड़ित को धमकी देना आदि ऐसे कारण है जो पीड़ित दलित को उचित न्याय प्राप्त होने नही देते।

सन्दर्भ–सूची

1. डॉ. पूरण मल, (2010); दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर (राजस्थान), पृष्ठ–1
2. सिंह रामगोपाल (1998) भारतीय दलित समस्याएँ एवं समाधान, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1998 पृ. 129–131
3. वही पृष्ठ 134
4. आहूजा राम (2012), भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 331
5. जैन सनत कुमार (1982), 'हरिजनों पर अत्याचार', अप्रकाशित शोध प्रबंध, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (मध्यप्रदेश)
6. सिंह बलबीर, (1987), 'हरिजनों का आपराधिक उत्पीड़न', अप्रकाशित शोध प्रबंध, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (मध्यप्रदेश)
7. जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीकृत रिपोर्ट के अनुसार।